





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला - झालावाड (राज.)

क्याशियन्ट

बनाम बालाराम

किसम मुकदमा प्रावत्र नं. 145 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
28/10/24	<p>प्राचीण द्वारा पेश प्रपत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 CPC को वाउ सरसरी प्रांच वर्क राफेसर किया गया। अप्राचीण / प्रति 4 व 6 को जारी नोटिस तलब किया गया। अप्राचीण / प्रति 4 व 6 को और से भाभे श्री बालाराम मेघवाल ने उपस्थित होकर प्रपत्र को स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति/सहमति दी। प्रावली वाले आदेश प्रपत्र 09R9 CPC दिनांक 30/10/2024 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">  28/10/24 </p>	<p>प्रावत्र पर 09R9 CPC का स्वीकार है</p> <p style="text-align: center;">   </p>
30/10/24	<p>प्रावली मूल फाईल के साथ पेश हुई। अभिभाषकगण प्रपत्र पक्ष उपस्थित। मूल प्रावली का अवलोकन किया गया। प्राचीण/वाकील के विरुद्ध under 09 R8 CPC दिनांक 28/10/24 को एकपक्षीय आदेश जारी कर वाउ को dismiss किया गया था। उली दिन शाम को प्राचीण द्वारा प्रपत्र पेश पर</p>	

निवेदन किया कि प्राथमिक भाषीकृत व
ग्रामीण परिवेश से होने के कारण कोर्ट
से लगेई आवाम को समझ नहीं पाया
है। अतः न्याय हिंस में प्राथमिक का प्रदो
ष लीकार लरे।

साम्ने उपप्राथमिक को सहमति व
प्रकरण से कोई विशेष delays नहीं होने
से प्रकरण को गुणावुण पर निश्चित किया
जाना न्यायोचित होगा। अतः प्राथमिक
का ~~प्रदोष~~ प्रदोष प्रप प/० १११ CPC र. १०१ ११
CPC लीकार किया जाता है। मूल वाड
को re-store किया जाकर पुनः नम्बर
पर लिए जाने का आदेश दिया
जाता है। यह पगावली फैसल कुमार होकर
नम्बर से काम होकर मूल वाड के
लाभ लगन ही।



[Handwritten signature]

30/10/2024
उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला झारखण्ड (राज०)